भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5257
24 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

मत्स्य पालकों को मुआवजा

5257. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य पालन, कृषि उद्योग की श्रेणी में आता है और सरकार द्वारा मत्स्य पालन करने वाले किसानों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) क्या मछलियों में विभिन्न रोगों के फैलने के कारण मत्स्य पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को ऐसे नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मात्स्यिकी, जिसे देश में कृषि संबद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में शामिल एक राज्य विषय है। भारत सरकार मछुआरों और मत्स्य किसानों के कल्याण सहित मात्स्यिकी और जलकृषि के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरक समर्थन प्रदान करती है। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने गत पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक) के दौरान देश में मात्स्यिकी और जलकृषि के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने सहित कई पहल की हैं। कार्यान्वित मात्स्यिकी विकास योजनाओं में (i) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), (ii) फिशरीस एडं एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (FIDF) और (iii) प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY) शामिल हैं। इसके अलावा**,** मछुआरों और मत्स्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा भी प्रदान की जाती है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने गत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) और वर्तमान वर्ष (2025-26) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों के 29,357.37 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत स्वीकृत 21,733.91 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और फिशरीस एडं एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) के तहत 7623.46 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब तक 5,04,848 मछुआरों और मत्स्य किसानों को 3,837.80 करोड़ रुपए की ऋण राशि के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी किए जा चुके हैं। इन पहलों ने मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि की है जिससे मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि हुई है

(ख) और (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह कार्यक्रम पूरे भारत में लागू है और इसमें राज्य मात्स्यिकी विभागों की सहभागिता शामिल है। यह कार्यक्रम ICAR-नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (NBFGR), लखनऊ द्वारा समन्वित किया जाता है। ICAR-NBFGR ने सूचित किया है कि भारत के जलकृषि क्षेत्र में रोगों के कारण अनुमानित उत्पादन हानि 12,912.20 करोड़ रुपए है, जिसमें से 7,520.9 करोड़ रुपए मत्स्य रोगों और 5,391.3 करोड़ रुपए श्रिम्प रोगों के कारण हुई हानि है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना अर्थात् प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) के तहत किसानों द्वारा जल कृषि बीमा की खरीद के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन (वन टाईम इनसेन्टिव) प्रदान करता है। जलकृषि बीमा के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन, देय प्रीमियम के 40% की दर से प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है, और 4 हेक्टेयर वॉटर स्प्रेड एरिया (WSA) वाले खेतों के लिए प्रति किसान 1 लाख रुपए तक सीमित है। गहन जलकृषि प्रणालियों जैसे केज कल्चर, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS), बायो-फ्लॉक, और रेसवे आदि के लिए, जलकृषि बीमा पर प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है जिसमें 1800 मी^{3} तक के लिए 1 लाख रुपए प्रति किसान की अधिकतम सीमा दर के साथ, भुगतान किए गए प्रीमियम पर 40% तक सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। जल कृषि बीमा के अंतर्गत 636.04 हेक्टेयर क्षेत्र को बीमा पॉलिसियों में कवर किया गया है जिसमें कुल 162.21 हेक्टेयर क्षेत्र के 56 लाभार्थियों ने एकमुश्त प्रोत्साहन [वन टाईम इन्सेंटिव (OTI)] का लाभ उठाया है, जिसकी राशि 20.08 लाख रुपए है।
